भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 548
दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए योजना

548. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
श्री शंकर लालवानी:
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साइबर क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने के लिए कोई अखिल भारतीय योजना आरम्भ की है;
(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और
(ग) पूरे देश में महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : भारत सरकार ने विभिन्न योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के माध्यम से उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने महिलाओं और लड़कियों सहित नागरिकों की डिजिटल साक्षरता के लिए भी कई पहल की हैं ताकि वे डिजिटल उपकरणों (जैसे कंप्यूटर, स्मार्ट फोन आदि) को संचालित कर सकें और शैक्षिक, वाणिज्यिक और डिजिटल लेनदेन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस पर काम कर सकें। ऐसी ही एक पहल है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)'। इसका उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करके विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों, महिलाओं और लड़कियों सहित ग्रामीण आबादी को लक्षित करने वाले डिजिटल विभाजन को पाटना है। 08.12.2022 तक, पीएमजीदिशा (पीएमजीडीआईएसएचए) के तहत लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत कुल नामांकित का 53% से अधिक, कुल प्रशिक्षित का 54% से अधिक और कुल प्रमाणित का 56% से अधिक है।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन' (एनएमईआईसीटी) स्कीम, एसडब्ल्यूएवाईएएम (युवा आकांक्षी विचार के लिए सक्रिय सीखने की वेब्स का अध्ययन), एसडब्ल्यूएवाईएएम पीआरएबीएचए, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल),देश भर के छात्रों को ई-लर्निंग के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, एनईएटी (नेशनल एजुकेशन एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी) आदि का संचालन कर रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में कार्यान्वित स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की है। मंत्रालय ने 15 वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और अधिकारिता के लिए अंब्रेला स्कीम के रूप में 'मिशन शक्ति', एक एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम तैयार किया है। इसका उद्देश्य अधिक दक्षता, प्रभावशीलता और वित्तीय विवेक के लिए संस्थागत और अभिसरण तंत्र के माध्यम से मिशन मोड में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है।

मिशन शक्ति की अंब्रेला स्कीम में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "सामर्थ्य" नामक दो उप-योजनाएँ हैं। 'सामर्थ्य' उप-योजना के तहत एक नया घटक अर्थात

महिला सशक्तिकरण हब (एचईडब्ल्यू) को महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाने वाले वातावरण बनाने के लिए केंद्र, राज्य/संघ शासित क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। एचईडब्ल्यू के तहत महिलाओं को उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध ढांचे में मार्गदर्शन,लिंकिंग और विभिन्न संस्थानों और कार्यक्रम संबंधी सेटआप के लिए हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करती है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कॅरियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, देश भर में जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों के स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता शामिल हैं।

*****